धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़
दिनांक-14.09.2026

सत्र 2026-27 में छात्रवृत्ति हेतु समस्त वर्ग के नवीनीकरण (Renewal) में छात्रवृत्ति फॉर्म भरने वाले छात्र/छात्राओं हेतु अति आवश्यक सूचना

सत्र 2026-27 के अन्तर्गत प्रवेशित सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि www.scholarship.up.gov.in की वेबसाइट पर **नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फॉर्म दिनांक 15.09.2026 से भरे जा रहे हैं। नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति फॉर्म कॉलिज में जमा करने की अन्तिम तिथि 15.10.2026 है।**

अतः छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म का Final Print निकालने से पूर्व कॉलेज के सभी काउण्टर पर चस्पा 'प्रारूप'' के अनुरूप ही अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें एवं तत्पश्चात फाइनल प्रिंट के साथ निम्न कम में अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र सलंग्न कर कालेज में काउण्टरों पर जमा करें-

1. कॉलिज द्वारा निर्गत **प्रमाण पत्र https://dscaligarh.ac.in पर प्रमाण पत्र उपलब्ध है)** ध्यानपूर्वक भरकर एवं स्वंयप्रमाणित कर संलग्न करें।
2. छात्रवृत्ति उपस्थिति प्रमाण-पत्र **https://dscaligarh.ac.in पत्र उपलब्ध है तथा शिक्षक से अपनी 75 या 75 से अधिक उपस्थिति प्रमाणित कराकर फॉर्म में लगायें।**
3. गतवर्ष के परीक्षाफल की छायाप्रति, जिस रिजल्ट से फॉर्म में अंक भरवाये गये हैं सलंग्न करें एवं स्वयं प्रमाणित करें।
4. प्रथम वर्ष के (सत्र 2026-27) अपना वेब रजिस्ट्रेशन स्वयं प्रमाणित कर लगायें।
5. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र, प्रथम वर्ष की फीस स्लिप अनिवार्य रूप से लगायें एवं वर्तमान सत्र (जिस कक्षा में प्रवेश में है) की भी फीस स्लिप लगायें।
6. हाईस्कूल से लेकर अन्तिम वर्ष तक के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्वंय प्रमाणित छायाप्रति। उल्टे कम में।
7. बी0एड0 प्रथम वर्ष के छात्रो हेतु काउन्सलिंग लैटर की स्वंय प्रमाणित छायाप्रति लगायें।
8. जाति प्रमाण-प्रत्र एवं नेट से प्राप्त सत्यापन की छायाप्रति।
9. आय प्रमाण-पत्र एवं नेट से प्राप्त सत्यापन की छायाप्रति।
10. मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं नेट से प्राप्त सत्यापन की छायाप्रति।
11. आधार कॉर्ड की छायाप्रति।
12. बैंक पास बुक की छायाप्रति (राष्ट्रीयकृत बैंक)।
13. आई कॉर्ड की छायाप्रति।
14. यदि 02 वर्ष से अधिक गैप है तो उस आशय का शपथ पत्र।
15. केवल उत्तीर्ण छात्र ही आवेदन हेतु पात्र होंगें।
16. **समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (Self Finance) के छात्रों** को सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा कॉलिज में आधी फीस जमा की गई है एवं छात्रवृत्ति फॉर्म में पूरी फीस भरवाई गई है, तो ऐसे छात्रों का फॉर्म जमा करना संभव नहीं होगा। **फॉर्म में उतनी ही फीस भरवायें जितनी छात्र द्वारा जमा की गई है।**
17. **छात्र द्वारा जो छात्रवृत्ति फॉर्म में मो0 न0 भरा गया है वही मो0 न0 बैंक में आधार से लिंक तथा बैंक में खाते की EKYC, NPCI, DBT होना अनिवार्य है। यदि उक्त कार्य को बैंक में छात्र-छात्रा द्वारा नहीं कराया जाता है, तो छात्र-छात्रा की छात्रवृत्ति आना संभव नही होगा।**
18. **ऐसे छात्र-छात्राये जिनका बैंक खातों में काफी समय से रूपये का लेन-देन नहीं हुआ है ऐसे छात्र अपना बैंक खाता बैंक से चैक करा लें कि खाता बंद तो नहीं है, अन्यथा की स्थिति में छात्रवृत्ति आना संभव नहीं होगा।**
19. **छात्र-छात्रा के छात्रवृत्ति फॉर्म में केवल अभिभावक का ही आय-प्रमाण पत्र मान्य होगा।**
20. छात्रवृत्ति फॉर्म संलग्नकों सहित दो प्रतियो में जमा किया जाना अनिवार्य है
21. छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म में किसी भी त्रुटि के लिए छात्र स्वंय जिम्मेदार होगा।

सभी कक्षाओं के छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही जमा होगें।

14.9.26

(प्रो0 मुकेश कुमार भारद्वाज)
प्राचार्य